

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मंमं/2009

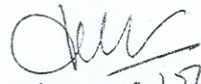
जयपुर, दिनांक: 15.1.2010

—:: आज्ञा ::—

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से भारतीय यूनीक पहचान प्राधिकरण परियोजना के कार्यान्वयन, निगरानी एवं नीतिगत निर्णय लेने हेतु निम्नानुसार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है:-

- |                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. मुख्यमंत्री                                                     | —अध्यक्ष    |
| 2. मंत्री, गृह एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग                     | —सदस्य      |
| 3. मंत्री, राजस्व विभाग                                            | —सदस्य      |
| 4. मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग                       | —सदस्य      |
| 5. मंत्री, शिक्षा विभाग                                            | —सदस्य      |
| 6. मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग                      | —सदस्य      |
| 7. मंत्री, सहकारिता विभाग                                          | —सदस्य      |
| 8. मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग                       | —सदस्य      |
| 9. राज्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग | —सदस्य      |
| 10. मुख्य सचिव, राजस्थान                                           | —सदस्य      |
| 11. आयुक्त, राज्य यूनीक पहचान प्राधिकरण                            | —सदस्य      |
| 12. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग                                 | —सदस्य सचिव |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा ।

  
(राकेश वर्मा) 15/1/10  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य यूनीक पहचान प्राधिकरण ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
8. रक्षित पत्रावली ।

  
उप शासन सचिव